न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–

सुरज्ञानमल पुत्र गंगाराम जाट
सा. ओला की ढाणी –सिरसी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुखाराम पुत्र हनुमानराम मेघवाल सा. जिनरासर
2. सायर पुत्र सुखदेव बलाई सा. बेगस तह. जयपुर
3. अशोक पुत्र गोरीशंकर महाजन सा. झाटवाडा
4. राकेशकुमार पुत्र बाबुराम महाजन सा. सिरसी रोड़
5. भंवरलाल पुत्र श्योजीराम जाट सा. चौसला
6. लालाराम पुत्र बोदूराम कुम्हार सा. लूणवा
7. बालूराम पुत्र भैरू कुम्हार सा. लूणवां
8. रूडा पुत्र भैरू कुम्हार सा. लूणवां
9. हणमानराम पुत्र हरजीराम मेघवंशी सा. कुणी
10. शिवजीराम पुत्र हरजीराम मेघवंशी सा. कुणी
11. मोतीराम पुत्र हरजीराम मेघवंशी सा. कुणी
12. कानाराम पुत्र बालूराम मेघवंशी सा. कुणी
13. पारादेवी पत्नी लादूराम मेघवंशी सा. कुणी
14. मानकी पत्नी उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
15. कमला पुत्री उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
16. छोटी पुत्री उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
17. पुरणमल पुत्र लक्ष्मणराम मेघवंशी सा. कुणी
18. मंजू पुत्री लक्ष्मणराम मेघवंशी सा. कुणी
19. मोहनलाल पुत्र उदाराम मेघवंशी सा.कुणी
20. आसूराम पुत्र उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
21. राजूराम पुत्र उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
22. रामेश्वर पुत्र उदाराम मेघवंशी सा. कुणी
23. गेंदीदेवी पत्नी हनुमानदत्त ब्राहम्ण सा. लूणवा
24. चन्द्रशेखर पुत्र हनुमानदत्त ब्राहम्ण सा. लूणवा
25. गोकुलेन्द्र पुत्र हनुमानदत्त ब्राहम्ण सा. लूणवा
26. शाखा प्रबन्धक युको बैंक गुढा साल्ट
27. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक बगरू
28. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक भांकरोटा
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र शर्मा वकील वादी

मुकदमां नम्बर :– 140/2015

निर्णय दिनांक :– 18.1.17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 कुल रकबा 19–66 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त विवादित भूमि के रकबे 7.14 हैक्टयर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि में 2/3 हिस्से अर्थात 2.38 हैक्टयर भूमि तत्कालीन खातेदार विष्णुदत्त, गिरीराज पि. रामाकिशन जाति ब्राहम्ण सा. लूणवा के नाम दर्ज रिकार्ड चली

आ रही हैं प्रतिवादी विष्णुदत्त, गिरीराज ने अपने हक हिस्से की भूमि 2.38 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान वादी को कर दिया तब से उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा भूमि का मौके पर आपसी समझाईश से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 201 रकबा 0.13 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 5.06 हैक्टयर में उत्तरी पश्चिमी तरफ 2.25 हैक्टयर भूमि पर वादी काबिज काश्त हैं तथा इसी भूमि पर तत्कालिन बैचानकर्ता विष्णुदत्त वगैराह का क़ब्जा काश्त था तथा उसी स्थान पर खरीद के बाद वादी को कब्जा सुपुर्द किया गया था उसी स्थान वादी खरीद के दिन से काबिज काश्त हैं इसी माफिक वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषण किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण के सम्मन तामली सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह नारायणराम, रामदेव, के शपथ पत्र पेश किऐ गये जमाबन्दी के अनुसार उक्त विवादित सम्पूर्ण आराजीयत में 7.14 हैक्टयर भूमि भंवरलाल पुत्र श्योजीराम, जाट , शांन्तिदेवी पत्नी गोपालकृष्ण, विष्णुदत्त, गिरीराज पि. रामकिशन जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें से विष्णुदत्त, गिरीराज पि. रामकिशन जाति ब्राहम्ण ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने पर उनके स्थान पर खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 527 दिनांक 2.5.14 को खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई जिसके अनुसार विवादित भूमि में वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हैं अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का पूर्ण अधिकार हैं तत्पश्चात वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया गया तथा मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर तहसीलदार नांवा से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार ने अपने पत्रांक : भू.अ./2016/2149 दिनांक 13.12.2016 से बंटवारा तैयार कर भिजवाया गया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई जिसको पढ़ने देखन के बाद सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किऐ जाने का निवेदन किया गया। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम कुणी के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.13 हैक्टयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 203 रकबा 5.06 हैक्टयर भूमि में से 2.25 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा खसरा नम्बर 210 में से वादी का नाम हटाया जाता हैं माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी के हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम करते हुऐ खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.1.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.1.17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नांवा